

महात्मा गाँधी की राजनीतिक विचारधारा: एक अध्ययन

डा० प्रवीण कुमार (रिसर्च स्कोलर)

इतिहास विभाग

महात्मा गाँधी एक परिचय:

आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारकों में महात्मा गाँधी का शीर्ष स्थान है। भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा करने में उन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया, इस कारण उन्हें 'राष्ट्रपिता' भी कहा गया। गाँधीजी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण अफ्रीका से आरम्भ किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए आन्दोलन चलाया और इसमें सफलता प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्ष के दौरान ही उन्होंने अहिंसा तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों को अपना आरम्भ किया। 1915 ई० भारत में वापिस आने तक उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल चुकी थी। गाँधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने गाँधी जी को परामर्श दिया था कि वह भारतीय राजनीति में शीघ्र प्रवेश न करें बल्कि कुछ समय, वह भारतीयों का अच्छी प्रकार से निरीक्षण करें, सन् 1919 में, ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ निरंकुश कानून बनाने का प्रयत्न कर रही थी। उस समय भारत सरकार (अंग्रेजी सरकार) के केन्द्रीय विधानमण्डल में जो विधेयक पेश किया उसे रौलट एक्ट कहा जाता था। इस विधेयक के अन्तर्गत पुलिस, मेजिस्ट्रेट और नौकरशाही (ब्रिटिश सरकार) को निरंकुश शक्तियाँ दी जा रही थी। महात्मा गाँधी ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि उन विधेयकों को पास कर दिया गया तो वह सत्याग्रह करेंगे परन्तु ब्रिटिश सरकार ने गाँधीजी की इस चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उन दो विधेयकों को पास करके कानून का रूप दे दिया। ब्रिटिश सरकार की इस कार्यवाही के विरुद्ध गाँधीजी ने 6 अप्रैल 1919 को सम्पूर्ण देश के हड़ताल (बन्द) करने का निमंत्रण दिया। इस 'बन्द' से गाँधीजी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश किया। गाँधी जी के नेतृत्व में 1920 ई० में असहयोग आन्दोलन, 1930 ई० और 1932 ई० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा 1942 ई० में भारत छोड़ो आन्दोलन चलाए गए। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान महात्मा गाँधी ने अहम् भूमिका निभाई। सन् 1947 में भारत का विभाजन गाँधीजी की अन्तर्त्मा के विरुद्ध हुआ था। परन्तु आजाद भारत का नेतृत्व गाँधीजी ने भाग्य में नहीं लिखा था। 30 जनवरी, 1948 को नाथू गोडसे नामक एक व्यक्ति ने तीन गोलियाँ चलाकर गाँधी जी की हत्या कर दी।

महात्मा गाँधीजी की राजनीतिक विचारधारा

प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों में बहुत तीव्रता आ गई। महात्मा गाँधी जी जनवरी 1915 ई० में दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापस आए। उस समय तक गाँधी जी की प्रसिद्धि सारे भारत में फैल चुकी थी। उनकी ख्याति केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित नहीं थी इसके विपरीत जन साधारण भी उनके नाम और कार्यों से परिचित था। गाँधीजी ने सारे देश की यात्राएँ की तथा 1915 ई० में अहमदाबाद के पास 'साबरमती आश्रम' की स्थापना की जिसमें देश के सभी क्षेत्रों से आये हुए समर्थक रहने लगे। शीघ्र ही यह आश्रम, गाँधी जी के संघर्ष का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। महात्मा गाँधी का कथन था कि, "मैं एक ऐसे भारत के लिए कार्य करूँगा जिसमें गरीब लोग यह महसूस करेंगे कि यह देश उनका है और इसके निर्माण में उनकी आवाज भी प्रभावकारी रही। ऐसा भारत जिसमें ऊँची और नीची जाति के लोग नहीं होंगे अपितु सभी सम्प्रदायों के लोग पूर्ण सद्भाव के साथ रहेंगे। ऐसे भारत में छुआछूत के अभिशाप की गुंजाइश नहीं होगी, स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगी। यही मेरे सपनों का भारत होगा। यद्यपि गाँधी जी ने अपने विचारों को किसी विशेष वाद का नाम दिया परन्तु मानव जीवन के सम्बन्ध में तथा राजनीतिक समाज के सम्बन्ध में गाँधी जी के अनेक महत्वपूर्ण विचार हैं जिन्हें हम 'गाँधीवाद' का नाम दे सकते हैं। गाँधी जी के विचारों पर प्रसिद्ध विद्वान जॉन रास्किन, टॉलस्टॉय तथा थ्योरो के लेखों का बहुत प्रभाव था। इसके अतिरिक्त वेदों, श्रीमद्भगवद्गीता, बाइबल तथा कुरान ने भी गाँधीजी के विचारों को बहुत प्रभावित किया था।

गाँधी जी राज्य को आवश्यक, प्राकृतिक अथवा दैवी संस्था नहीं मानते थे, अपितु राज्य के वर्तमान रूप से वह बहुत विरुद्ध थे। गाँधीजी के राज्य के सम्बन्ध में विरोध का मुख्य आधार था कि राज्य हिंसा भाव अथवा शक्ति पर आधारित है। राज्य शक्ति का प्रयोग करता है जिसके द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट होती है तथा व्यक्ति अपने जीवन का सन्तुलित विकास नहीं कर पाता। गाँधी जी के अनुसार राज्य मानवता की सेवा के लिए एक साधन है। यह अपने उद्देश्य को तभी पूरा कर सकता है, यदि राज्य के लोगों की इच्छा पर आधारित हो। परन्तु जब राज्य अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों से अपने आदेशों का पालन करवाता है तो यह मानवता की सेवा के साधन की अपेक्षा जिसमें राज्य स्वयं ही समाप्त हो जायेगा। उन्होंने वास्तव में एक ऐसे राज्य की व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत किया है जिसमें शक्ति, हिंसा तथा सत्ता को कोई स्थान प्राप्त न हो। सच तो यह है कि गाँधीजी का मौलिक उद्देश्य एक ऐसे राज्य-विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति में आत्मनिर्भर हों।

गाँधी जी एवं विकेन्द्रीकरण

गाँधी जी शासन की शक्तियों को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीयकरण के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि केन्द्रीयकरण निरंकुशता, अत्याचार तथा घमण्ड को जन्म देता है। इससे व्यक्तियों की कार्यकुशलता, नैतिक स्वतन्त्रता तथा आत्म निर्भरता नष्ट हो जाती है। गाँधी जी चाहते थे कि राष्ट्र की शक्ति को स्थानीय संस्थाओं में बाँट देना चाहिए ताकि शक्ति का अधिक से अधिक भाग, ग्राम पंचायतों को मिल सकें। गाँधी जी के अनुसार प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होगी और स्व-शासित गाँव, एक संघ की ईकाईयों के रूप में कार्य करेंगे। इस समाज में जेलें नहीं, अपितु छोटे-छोटे स्व-शासित गाँव पंचायतें तथा सुधार गृह होंगे जहाँ अपराधियों को सुधारने तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। गाँधी जी के ऐसे समाज में विशेष रूप से दो गुण होंगे। प्रथम गुण लोगों का अपेक्षित सहयोग होगा तथा द्वितीय गुण शक्ति का विकेन्द्रीकरण होगा। विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। सत्ता के विकेन्द्रीकरण को ही वास्तविक रूप से उन्होंने 'रामराज्य' की संज्ञा दी थी।

गाँधी जी भारत के एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, वह भारत में एक ऐसा राज्य चाहते थे। राजनीतिक बुराईयों से रहित हों। उन्होंने इस विषय में कुछ सुझाव भी दिए थे,

उदाहरणस्वरूप:

1. राज्य के सभी कानून नैतिकता को सहयोग तथा सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त कानून ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति के नैतिक विकास सहायक सिद्ध हों।
2. पुलिस का कर्तव्य हो कि वह व्यक्तियों को सहयोग तथा सहायता प्रदान करे। दण्ड तथा जेलों का उद्देश्य, कष्ट देना न होकर अपराधियों का सुधार करना हों।
3. एक आदर्श राज्य के लिए आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। मुकद्दों पर कम व्यय हो और न्यायधीश हर प्रकार से ईमानदार हो। अधिक से अधिक झगड़ों का निर्णय ग्राम पंचायतों के द्वारा ही किया जाना चाहिए।
4. गाँधी जी सैनिक शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। वह सेना पर किये जाने वाले व्यय को कम करके उसे रचनात्मक कार्यों में लगाने चाहते थे।
5. गांधी जी कहते थे कि एक आदर्श शासन को चलाने के लिए आदर्श कर्मचारी होने चाहिए। ये कर्मचारी ईमानदार तथा कार्यकुशल ही हो और ये लोक-सेवा भावना से ओत-प्रोत हो।

इस प्रकार गाँधीजी पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे। भारत के प्रति उनके मन में अथाह लगन थी तथा वह प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध में गर्व से अनुभव करते थे। उनके मन में तीव्र इच्छा थी कि भारत स्वतन्त्र होकर विश्व के राष्ट्रों के समान, सम्मानीय स्थान प्राप्त करें।

गाँधी जी एवं अहिंसा

अहिंसा, गाँधीजी की राजनीतिक विचारधारा का अभिन्न अंग था। अहिंसा का सिद्धान्त उनके दर्शन की आत्मा था। उनका विचार था कि जिस प्रकार पशु जगत में हिंसा एक आवश्यक नियम है, उसी प्रकार अहिंसा मानव जाति का मूल आधार है। गाँधी जी के अनुसार अहिंसा केवल निषेधात्मक विचार ही नहीं अपितु यह सकारात्मक विचार भी है। जहाँ इसका अर्थ किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है, उसी प्रकार, दूसरे के प्रति भलाई करना भी इसका लक्षण है। गाँधी जी का विश्वास था कि हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, शांति स्थापित नहीं कर सकती। क्योंकि वह अपने से बड़ी अहिंसा, बहादुर और सुदृढ़ व्यक्तियों का गुण है तथा इसके लिए निडरता की आवश्यकता है। गाँधीजी ने अहिंसा को गरीबों और कमजोर व्यक्तियों का एक शक्तिशाली शस्त्र बताया है जिसके द्वारा वह अन्याय तथा अत्याचार का सामना कर सकते हैं। गाँधीजी का विचार था कि प्यार आन्तरिक पवित्रता, निडरता, सच्ची लगन तथा निःस्वार्थ भावना अहिंसा के मुख्य आधार हैं। जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं हैं, वह सच्चे अर्थों में अहिंसा का पुजारी नहीं बन सकता।

गाँधीजी ने भारतीय राजनीति में अनेक परीक्षण किये लेकिन सत्याग्रह ही सबसे उपयुक्त साधन प्रमाणित हुआ। यह एक तरह से अन्तिम हथियार था और इसी के द्वारा जनता को अपील करके जनमत तैयार किया गया। कांग्रेस के बहुत से नेताओं का यह तर्क था कि स्वतंत्र्योत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन या सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन गाँधी जी इन नेताओं के तर्क से असहमत थे। गाँधी जी जनतांत्रिक व्यवस्था में इसके सीमित प्रयोग के पक्षधर थे। इस प्रकार गाँधीजी की यह आदर्शवादी विचारधारा अन्याय और आक्रामकता के विरुद्ध यह एक ऐसा यंत्र प्रमाणित हुई जिसके द्वारा निरंकुश एवं स्वच्छाचारी शासकों के विरुद्ध शांति और संवैधानिक तरीकों को प्रयोग किया गया। जब भी सच्चे ध्येय के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया गया तब इसमें सफलता अवश्य मिली। इसमें जनमत को जगाने, शिक्षित करने और संगठित करने में अवश्य लाभ प्राप्त हुआ।

गाँधी जी और सत्याग्रह

गाँधी जी सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने के समय कहा करते थे कि सत्याग्रही को रचनात्मक कार्यक्रम को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। जो लोग सत्याग्रह में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे वे रचनात्मक कार्यक्रम में अपना सहयोग दे सकते हैं सत्याग्रही को व्यक्ति का ही नहीं बल्कि विदेश पद्धतियों एवं प्रणालियों की भी अवेहलना करनी चाहिए। जिससे देश में व्याप्त बुराईयों का अन्त हो सके। सत्याग्रह आन्दोलन में अन्तर्त्मा की आवाज का विशेष महत्व था जिसे सत्याग्रही रणनीति की सभी क्रियाविधियों की जानकारी मिली। इसके अन्तर्गत हड़ताल, सामाजिक एवम् आर्थिक बहिष्कार,

धरने देना, सविनय अवज्ञा आन्दोलन हिजरत और उपवास आदि साधन सम्मिलित थे। उदाहरणस्वरूप: हड़ताल के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करना था। इसका ध्येय सभी सरकारी कार्य बन्द करके सरकार तथा सरकारी संस्थाओं को प्रभावित करना था गाँधीजी ने हड़तालों का भी समय निश्चित किया अन्यथा ये उद्देश्य प्रभावहीन हो जाते। गाँधीजी के अनुसार हड़ताल, अहिंसात्मक पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक बहिष्कार के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो जनमत की अवेहलना करते हो। इसमें उग्रता नहीं होनी चाहिए। सविनय अथवा नागरिक अवज्ञा को उन्होंने सबसे अधिक प्रभावशाली यन्त्र बताया जिसके माध्यम से अनैतिक नियमों को भंग करना था। गाँधीजी के अनुसार 'सविनय अवज्ञा' हृदय से सम्मानपूर्ण और संयमशील होनी चाहिए। इसी प्रकार, उपवास के माध्यम से संस्था, शासन तथा अधिकारियों पर दबाव बनाने की रणनीति थी। गाँधीजी का कथन था कि सार्वजनिक उपवास से जनता में आत्मशुद्धि और आत्म-शक्ति बढ़ती है। इससे अन्याय के प्रति अहिंसात्मक प्रतिरोध करने की क्षमता मिलती है। वस्तुतः उपरोक्त सभी साधनों का गाँधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में भरपूर प्रयोग किया ताकि न्याय और सत्य को भारतीय राजनीति में सुदृढ़ बनाया जा सके।

गाँधीजी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उनकी सम्पूर्ण विचारधारा धर्म पर आधारित थी। वह राजनीति और धर्म का समन्वय चाहते थे। उनका कहना था धर्म और राजनीति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। और राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार धर्म के बिना राजनीति का कोई महत्व नहीं है परन्तु यहां यह बता देना उचित होगा कि गाँधीजी का धर्म, किसी विशेष धार्मिक समुदाय के सिद्धान्तों की चारदीवारी तक सीमित नहीं था बल्कि यह एक विश्वव्यापी धर्म था अर्थात् यह धर्म वास्तव में विश्वव्यापी नैतिक सिद्धान्तों का समूह था गाँधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ निष्काम भाव से सत्य की खोज करना था। वह कहते थे कि धर्म एक ऐसा कर्तव्य है जिसे हमें जीवन का प्रत्येक कार्य करते समय निभाना चाहिए। गाँधीजी का कथन था कि "जो धर्म जीवन में हमारा पथ-प्रदर्शन नहीं करता वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता हिन्दू धर्म में विश्वास करते हुए भी उन्होंने इस धर्म की ऋणियों की सदा निन्दा की और इसकी छुआछुत जैसी बुराईयों की आलोचना की। वह झूठ, छल-कपट, भ्रष्टाचार आदि को राजनीति में स्थान देने के विरुद्ध थे। वह धर्म और राजनीति में समन्वय चाहते थे। गाँधीजी ऐसे विश्वास द्वारा राजनीति को पवित्रता प्रदान करना चाहते थे। ऐसे धर्म में राजनीति को अलग करना गाँधीजी को मानवता की हत्या करने के समान प्रतीत होता था। उनके अनुसार, समाज में से धर्म को निकालना एक व्यर्थ प्रयास है। परन्तु यदि यह प्रयास सफल हो जाये तो इसका तात्पर्य समाज में तबाही होगी। अन्धविश्वास, बुरे रीति-रिवाज

तथा अन्य ऋटियां समय-समय पर उत्पन्न होती रहती है। जो थोड़े समय के लिए धर्म के रूप को बिगड़ती है और ऐसी बुराईयाँ स्थिर नहीं रहती परन्तु धर्म सदा अमर रहता है।

गाँधीजी की व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता में गहरी आस्था थी। जिनको तीव्र संघर्ष और कष्ट सहन करके ही प्राप्त किया जा सकता था। गाँधीजी ने अपने एक लेख में कहा था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष का प्रसार करना भारतीयों का धर्म था क्योंकि वे उनके अत्याचार और शोषण का शिकार हो रहे हैं। वे बाल गंगाधर तिलक के इस कथन में पूर्ण सहमत थे कि भारतीयों के लिए स्वराज्य प्राप्त करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। गाँधीजी ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत और नागरिक दोनों को स्वतंत्रताओं को सर्वोपरि माना। उन्होंने भाषण, लेखन संगठन आदि स्वतंत्रताओं को स्वराज की आधारशिला माना गाँधीजी का विचार था कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उसे कायम रखने के लिए बड़े बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। गाँधीजी के अनुसार स्वतंत्रता का न होने का तात्पर्य व्यक्ति तथा राष्ट्र की मृत्यु है क्योंकि स्वतंत्रता के बिना कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति किसी भी रूप में विकास नहीं कर सकता। गाँधीजी ने स्वयं भी देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक यातनाएं सहन की थी। वे पक्के राष्ट्रवादी थे।

गाँधी जी एवं स्वराज्य

स्वराज्य के सम्बन्ध में गाँधीजी के विचारों के दो पक्ष थे प्रथम वे स्वराज्य का अर्थ यह मानते थे कि स्वराज्य एक सकारात्मक विचारधारा है जिसका आन्तरिक अर्थ आत्म-शासन है। इस पक्ष से वह स्वराज्य का अर्थ, हर प्रकार के प्रतिबन्धों में स्वतंत्रता के रूप में नहीं अपितु आत्मशासन और आत्म-संयम के रूप में लेते थे। यह उनके स्वराज्य का आध्यात्मिक पहलू था। द्वितीय व्यवहारिक पक्ष से वह स्वराज्य का अर्थ मानते थे कि लोगों को इच्छानुसार अपने भाग्य को अपने ही प्रयासों द्वारा निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गाँधीजी के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर्श स्वयं में एक अन्तिम लक्ष्य नहीं है बल्कि यह तो साधारण व्यक्तियों को सच्चे अर्थ में स्वराज्य का आनन्द लेने के योग्य बनाने की दिशा में प्रथम कदम है। गाँधीजी ने 'यंग इण्डिया' में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा था कि उनके कल्पित स्वराज्य में निर्धन, धनी लोगों के साथ समान रूप से अपने जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकेंगे तथा किसी को भी भोजन तथा वस्त्र की कमी नहीं होगी। प्रत्येक निर्धन से गाँधीजी का अभिप्राय भारत की उस सरकार से है, जो स्त्री पुरुष तथा अमीर-गरीब का भेद किए बिना किसी ऐसी व्यस्क जनमत के बहुमत से बनी हो जो राज्य को श्रम देते हों। गाँधीजी के अनुसार स्वराज्य थोड़े से लोगों के सत्याग्रह करने से नहीं आयेगा अपितु

स्वराज्य तब होगा जब देश की सम्पूर्ण जनता में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि वह सत्ता का दुरुपयोग होने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सकें।

गाँधीजी पूर्ण रूप से लोकतन्त्रवादी थे उनका लोकतंत्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र भी इस दायरे में आते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोगों में सहनशीलता अनुशासन, अहिंसा तथा त्याग की भावना हो। उनकी दृष्टि में सरकार के स्वरूप में राजनीतिक परिवर्तन करने से सच्चे लोकतन्त्र की प्राप्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि लोकतन्त्र की प्राप्ति के लिए शासकों तथा शासितों के दिलों में परिवर्तन करना आवश्यक था। लोकतन्त्र में शासकों के लिए जनमत का सम्मान करना बहुत अनिवार्य है। गाँधीजी चाहते हैं कि उनके स्वप्न का लोकतन्त्र, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा अहिंसक सिद्धान्तों पर आधारित होगा। वह कहते थे कि लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना अहिंसा तथा समानता के आधार पर की जानी चाहिए। उन्हीं के शब्दों में “वास्तविक प्रजातन्त्र वही है जिसमें दुर्बल तथा बलवान् को समान अवसर प्राप्त हो और ऐसा केवल अहिंसा के मार्ग द्वारा ही सम्भव हो सकता है। ऐसे लोकतन्त्र में व्यक्तियों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होगी तथा राजनीतिक शक्ति को थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित नहीं होने दिया जायेगा। गाँधीजी का विचार था कि पश्चिमी देशों में लोकतन्त्र का अस्तित्व केवल आर्थिक रूप में ही है। क्योंकि वास्तविक अर्थों में वहाँ के लोग शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। गाँधीजी प्रत्येक उस व्यक्ति को मताधिकार देना चाहते थे जो अपने हाथों से कार्य करता हो। लोकतन्त्र की सफलता के लिए गाँधीजी ने राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता को आवश्यक समझते थे अपितु नैतिक स्वतन्त्रता को वह सबसे महत्वपूर्ण समझते थे। बहुमत के शासन पर उनका कोई विश्वास नहीं था क्योंकि वह अनुभव करते थे कि प्रचलित संसदीय लोकतन्त्रीय प्रणालियों में लोगों का बहुमत शासन नहीं करता बल्कि राजनीतिक दलों के कुछ प्रमुख नेता ही अपने विचारों के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। गाँधीजी ऐसे लोकतन्त्र के समर्थक थे जहाँ लोग आन्तरिक पक्ष से पूर्ण रूप में स्वतन्त्र हो तथा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए निडरता तथा योग्यता रखते हो।

गाँधी जी और अन्तर्राष्ट्रवाद

इससे कोई सन्देह नहीं कि गाँधीजी पक्के राष्ट्रवादी थे। परन्तु साथ ही उनके अन्तर्राष्ट्रवादी होने के सम्बन्ध में भी कोई सन्देह नहीं है। कुछ विचारकों का राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद परस्पर विरोधी तत्व दिखाई पड़ते हैं परन्तु गाँधीजी ऐसे विचार के समर्थक नहीं थे बल्कि उनका दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद को अवश्य ही परस्पर साथ चलना चाहिए। वह इस विचार से सहमत नहीं थे कि राष्ट्रवाद घृणा या कोई ओर बुराई उत्पन्न करता है बल्कि गाँधीजी के अनुसार राष्ट्रवाद बुराई

नहीं है। अपितु आधुनिक राष्ट्रों की संकीर्णता ही एक बुराई तथा विनाश का कारण है। गाँधीजी का विचार था कि व्यक्ति को, अन्तर्राष्ट्रीय बनने से पूर्व राष्ट्रवादी होना अनिवार्य है उनके विचार में यदि राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद में कोई विरोध पाया जाता है तो मुख्य कारण इस जाति द्वारा दूसरी जाति की लूट अथवा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण है। यदि विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्र उतने ही वस्तुओं से सन्तुष्ट रहे जितनी कि उनके पास है तो राष्ट्रवाद तथा अन्तर्राष्ट्रवाद में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो सकता। गाँधीजी ने 'यंग इण्डिया' में लिखा था कि मेरे विचार में राष्ट्रवादी बने बिना किसी के लिए अन्तर्राष्ट्रीयवादी बनना असम्भव है। अन्तर्राष्ट्रवाद तभी सम्भव हो सकता है यदि राष्ट्रवाद एक सच्चाई बन गए, जिसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न देशों से सम्बन्ध रखने वाले स्वयं को संगठित करके एक व्यक्ति के रूप में कार्य करे के योग्य बन जाए। इस प्रकार गाँधीजी 'जियों और जीने दो' के सिद्धान्त के पक्षपाती थे। वह चाहते थे कि विश्व में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण न करे। राष्ट्रों में आपसी मेल-मिलाप समानता के आधार पर हो। कोई भी राष्ट्र झगड़ों का हल युद्ध से न करे। आपसी बातचीत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाई जानी चाहिए। परतन्त्र राष्ट्र को स्वतन्त्र किए जाए और पिछड़े राष्ट्रों को उन्नत किया जाए। इस प्रकार विश्व कल्याण की भावना बढेगी तथा विश्व शक्ति स्थापित होगी।

बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों के आपसी सम्बन्धों के विषय में गाँधी जी के विचार लोकतन्त्रीय प्रणाली की सफलता के लिए बहुत लाभदायक तथा उत्साहजनक है। उनका विचार था कि प्रत्येक समाज में अल्पसंख्यकों का होना स्वाभाविक है। ये अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा भाषाई आधार पर हो सकते हैं। बहुसंख्यक वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के आपसी सम्बन्धों की समस्या प्रत्येक समाज में विद्यमान है। गाँधी जी का कथन था कि इस समस्या को सुलझाने का विशेष उत्तरदायित्व बहुसंख्यकों का है। उनके विचारनुसार बहुसंख्यकों का यह कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के विचारों का भी सम्मान करें क्योंकि लोकतन्त्रीय शासन तभी ठीक हो सकता है यदि मतभेद रखने वाले अपने विचारों के सम्बन्ध में कठोर हठ न करे। कोई भी संगठन कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता यदि वह विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ हो अथवा प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे के प्रति शिकायत करता हो तथा प्रत्येक अपने इरादे को किसी भी रूप में पूर्ण करने का प्रण किए बैठा हो। इस प्रकार गाँधीजी ने लोकतन्त्रीय प्रणाली में बहुमत तथा अल्पसंख्यक वर्गों को सहयोग के आधार पर उचित तथा न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने की प्रेरणा दी। यह गाँधीजी के प्रयासों का ही परिणाम है कि स्वतन्त्र भारत में अल्पसंख्यक वर्गों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की गई है।

मूल्यांकन:

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने समय-समय पर विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं जो आगे चलकर अन्य विद्वानों के लिए मार्गदर्शन का साधन बन गए। गाँधीजी भारत में एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना के पक्ष में थे जो सभी प्रकार की बुराईयों से रहित हो। उनका सपना था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता, समानता तथा न्याय आदि अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिए। गाँधीजी भारत में ऐसी व्यवस्था की स्थापना के पक्ष में थे जो सर्वोदय दर्शन, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय एवम् भाईचारे जैसी मान्यताओं पर आधारित था। गाँधीजी के हृदय में निर्धन व्यक्तियों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। गाँधीजी 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त को मानते थे। वे चाहते थे कि विश्व के सभी राष्ट्रों की समस्याएँ शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाएँ। परतन्त्र राष्ट्रों को स्वतन्त्र किया जाये तथा पिछड़े राष्ट्रों को उन्नत करने में सहयोग किया जाये इससे समस्याएँ शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाएँ। परतन्त्र राष्ट्रों को स्वतन्त्र किया जाये तथा पिछड़े राष्ट्रों को उन्नत करने में सहयोग किया जाये इससे शांति स्थापित होगी और महात्मा गाँधीकी विभिन्न क्षेत्रों में देन को सदैव स्मरण रखेंगे। डॉक्टर ए. सी. बैनर्जी के शब्दों में, "भारत के लोग चाहे महात्मा गाँधीके निजी मार्गदर्शन से वंचित हो गए परन्तु उनके द्वारा पीछे छोड़े गए आदर्श हमेशा अमिट रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- शर्मा डा० योगेन्द्र कुमार भारतीय राजनीति विचारक, दिल्ली 2001, पृ. 241
- क्रान्त (2006) स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास 1 (सं.) नई दिल्ली प्रवीण प्रकाशन प० 107
- क्रान्त, मदनलाल वर्मा (2006) स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास 2 (1सं.) नई दिल्ली प्रवीण प्रकाशन पृ. 512
- भारतन कमरुप्पा, संपादक फॉर पसिफिस्ट्स एमयकेय द्वारा लिखित। गांधी नवजीवन प्रकाशन हाउस अहमदाबाद भारत, 1949।
- आरगांधी, पटेल एक जीवन पृ. 230-32
- आरगांधी, पटेल एक जीवन पृ. 283-86
- महात्मा गांधी की संग्रहित रचनाएं वॉल्यूम 5 पेज 410
- जैक होमर, गांधी के पाठक पृ. 324-6
- नंदा, बी.आर.गांधी पेन इस्लामिज्म इम्पिरिएलिज्म एण्ड नेशनलिज्म इन इण्डिया ओ.यू.पी.ए. नई दिल्ली ए. 2002.
- शाह, मोहम्मद फ्रीडम मुवमेन्ट इन इण्डिया एसोसिएटेड पब्लिसिंग हाऊस नई दिल्ली 1979
ब्राउन, जूडित गाँधीयन राइस टू पावर रू इंडियन पॉलिटिक्स 1915-22, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज, 1972।
- पत्रिका-हरिजन सितम्बर 21, 1934।